International Journal of Research
ISSN: 2348-6848 Vol-3, Special Issue-7
National Seminar on Government Policies pertaining to Women: Awareness, Implications and Suggestions- 2016
Held on 26TH 27TH February 2016 organized by Department of Education and Department of English, DAK Degree College, Moradabad, UP, India.

"भारतीय नारी और घरेलू हिंसा"

डॉ0 कंचन सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
दयानन्द आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सिविल लाइन, मुरादाबाद–244001

जब कोई 'काल' यानी तत्समय का वर्तमान के मनीशी भविश्य की पीढ़ियों के सन्दर्भ में अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करते है या एक अप्रतिम स्थान–प्रतिपादित करते है वो अपने समय व सदी के नायक व नायिका होते है कालान्तर में वो **किंवदंती (Legend)** बन जाते है। समय के चक्र बीतने के साथ वो **कल्पित–कथा (Myth)** बन जाती है भारतीय नारी के सन्दर्भ मे जब हम उसके इतिहास का अध्ययन करते है तो हमें प्राचीन भारत की महिलाओं की समाज मे स्थापित सर्वोच्च पद एवं प्रतिश्ठा एक काल्पनिक कथा ही लगती है।

आज की भारतीय नारी के संदर्भ मे विचार करने से पहले हमें संक्षेप में इसके सम्पूर्ण परिदृ य की कुछ झलकियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम केवल भारतीय नारी या सामान्य नारी जाति की बात नहीं कर रहे बल्कि एक पूरी आधाी आबादी के संदर्भ में संक्षिप्त विचार, प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रायद्वीप के नारियों का एक विस्तृत, उज्जवल, उल्लेखनीय, अनुकरणीय एवं आज के संदर्भ में अनुकल्पनीय इतिहास रहा है। जिस उपमहाद्वीप में **"यत्र नारियस्त पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता"** के पौराणिक कथन आज भी गुंजयामान हों, वहां आज की नारी की क्या द ाा है। यह अनुकल्पनीय नहीं तो और क्या है?

(2) पौराणिक भारत से आधुनिक भारत तक के इतिहास में भारतीय नारी का ग्राफ लगातार ढलान की तरफ अग्रसर रहा है। इस आधी आबादी के रास्ते में भूल बिखरे ही नहीं वरन् गाड़ दिये गये हैं, इसीलिए भारतीय नारी का हर कदम उसके जीवन मरण के संघर्श की गाथा है, जिस दे ा में एक बच्चे को कोख में ही सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, जिस घर में वह पैदा हुई, वहां उसको वह अधिकार नहीं जो उसके भाई को प्राप्त हैं, समाज द्वारा पर्दा प्रथा औरत के आद ा, अनिवार्य एवं सौन्दर्य व गहना बताया गया है, इन सब बुराईयों के संदर्भ में कथित समाज का यह कथन है कि बालिका एवं महिलायें बौद्धिक एवं भाारीरिक रूप से बालकों एवं पुरूशों कमजोर होती हैं। इस कथन से सहमत होने से पहले मेरा समाज से निवेदन है कि वे **''गार्गी''** **''अपाला''** से लेकर **''कल्पना चावला''**, **''सुनीता विलियम्स''** तक अध्ययन करें, बौद्धिक संदर्भ में उनके विचार बदल जायेंगे। भाक्ति स्वरूप तो स्वयं एक देवी हैं जिसकी उपासना भाक्ति व ताकत के लिए भगवान ''राम'' से लेकर ''रावण'' तक कर चुके हैं, महाकाल भी जिनके प्रकोप को भाांत करने में बेचैनी का अनुभव करते हों उस प्रतिनिधिक आबादी को कमजोर कहना या समझना समाज को अपनी बौद्धिक एवं भाारीरिक अक्षमता को छुपाने का प्रयास नहीं तो और क्या है?

प्राचीन भारत में दहेज़ नाम का कोई भाब्द प्रचलित नहीं था। हाँ कन्यादान सर्वोच्च दान की श्रेणी मे जरूर आता था। परन्तु गुलामी के लम्बे दौर में भारतीयों के हर अनमोल रीति–रिवाज को कुरीतियों मे तब्दील कर दिया, **'इतिहास'** इसका गवाह है। यहां इतिहास को संदर्भित करना आव यक है क्योंकि लोग तुरन्त 'इतिहास' की अपने अनुसार स्वार्थी

व्याख्या भुरू कर देगें। मेरे अनुसार–''**इतिहास** आदमी के इन्सान बनने के जद्दोजहद का दस्तावेज है''। सन 712ई0 से 1947ई0 तक का काल भारतीय समाज एवं नारी जाति के लिए नारकीय काल रहा हैं। इस दौरान तमाम कुप्रथायें रूढ़ि होकर कथित धर्म का स्थान ले चुकी थी।

आजादी के बाद भारतीय कानून के प्रका ा एवं प्रभाव में भारतीय नारी को काफी संबल, सहयोग एवं अधिकार प्राप्त हुये हैं। परन्तु अभी तक पुरूश प्रधान समाज अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति नहीं पा सकता है, इसका कारण 1200 से अधिक वर्शो तक की किसी न किसी रूप में गुलामी का प्रभाव ही है। फिर भी **बाल विवाह निशेध अधिनियम, विधवा विवाह, महिला उत्तराधिकार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, बैंकों का राश्ट्रीयकरण, विभिन्न सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी सुनि ित करना एवं उनके आरक्षण की व्यवस्था** ने महिलाओं के जीवन क्रम में सुधार की एक नैतिक कानूनी इच्छा ाक्ति का बीजारोपण किया है जो निःसंदेह एक दिन महिलाओं के अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर होगा।

(3)

आधुनिक भारत का 80 से 90 का द ाक वैवाहिक महिलाओं के लिए एक भयावह द ाक के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब समाचार पत्र में दहेज उत्पीड़न या दहेज हतया का कोई समचार न छपा हो। इसी से विक्षुब्ध होकर तत्समय की विवाह योग्य लड़कियां एवं महिलायें प्रभात फेरी की तरह एक जुलूस निकालने लगी थी। जिसका एक ही नारा था– **''सास जले न ननद पिटे, तो बहू का ही क्यों स्टोव फटे''**। जिसको समाप्त करने की दि ाा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 304बी एवं 3/4 दहेज

प्रतिशेध अधिनियम की वजह से तत्कालीन समाचार पत्र की दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न की सुर्खियों पर लगाम लग सका। **Protection of Women from Domestic Violence Rules 2005** में रही सही महिलाओं के विरूद्ध हो रहे घरेलू हिंसा जैसे अपराध की कमर तोड़ने का अच्छा प्रयास किया है।

इन सभी कानूनों एवं इस दि ाा में समाज की जागरूकता, **''बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना''**, **''सुकन्या धन योजना''**, आदि कार्यक्रम नि चय ही भारतीय महिलाओं के उज्जवल भविश्य एवं आधुनिक भारत के सपनों को पूरा करने की दि ाा मे भाुभ संकेत है। समाज भारत के संदर्भ में अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सके, इस संदर्भ में भारतीय कानून सही दि ाा में काम करना भाुरू कर चुका है। जिसका प्रभाव भारतीय महिलाओं के रहन–सहन, बात–विचार, एवं व्यवहार में स्पश्ट रूप से परिलक्षित होता है, फिर भी कानून अन्तिम जरूरतमंद महिला तक पहुंच सकें, इसके लिए सरकार एवं समाज को अपने सामूहिक उत्तरदायित्व को समझना होगा।

भारत की आधी आबादी के उत्थान के बिना, भारत का उत्थान असंभव है, यह स्वीकारोक्ति ही भारत की सफलता का मूलमंत्र है। हम सबका यह सामाजिक दायित्व है कि इसे हम जनमानस के मस्तिश्क पटल पर अंकित करने का प्रयास करें।